लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *403

22 दिसम्बर, 2014 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्रों को कोयले का आबंटन

***403. डॉ. किरीट सोमैया:**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2009 से स्वीकृत की गई परियोजनाओं/प्रस्तावों सहित ईंधन आपूर्ति समझौतों के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और अन्य इस्पात क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों से प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में निर्माणाधीन और चालू इस्पात संयंत्रों पर कोयला खानों के आवंटन को रद्द किए जाने के कारण पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव का कोई आंकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे इस्पात क्षेत्र के कितना प्रभावित होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में हितधारकों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस्पात संयंत्रों को कोयले की पर्याप्त और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गये हैं?

उत्तर

इस्पात और खान मंत्री **श्री नरेन्द्र सिंह तोमर**

(क) से (ड़): एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

*****

“इस्पात संयंत्रों को कोयले का आबंटन” के बारे में डॉ. किरीट सोमैया, संसद सदस्य द्वारा लोक सभा में दिनांक 22 दिसम्बर, 2014 के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *403 के भाग (क) से (ड़) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) : स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा नए ईंधन आपूर्ति करार के लिए वर्ष 2009 से कोई अनुरोध नहीं किया गया है। आरआईएनएल ने अतिरिक्त दीर्घकालीन लिंकेज/एफएसए के लिए दिनांक 14.03.2012 को एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

(ख और (ग) : कोयला उत्पादन करने वाले कोयला ब्लॉकों में कोयला उत्पादन की अनुमति 31 मार्च, 2015 तक दी गई है। इसलिए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कोयला ब्लॉकों को निरस्त किए जाने के कारण कोयला आपूर्ति बाधित नहीं हुई है।

निरस्त कोयला ब्लॉकों के प्रबंधन और पुर्नआबंटन के लिए सरकार ने 21.10.2014 को “कोल माईंस (स्पेशल प्रोविजन्स) ऑर्डिनेन्स, 2014” जारी किया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि खानों/ब्लॉकों में अधिकारों, स्वामित्व और हितों तथा साथ ही इसकी भूमि और अन्य संबद्ध खनन अवसंरचना का हस्तांतरण नीलामी अथवा सरकारी कंपनी को आबंटन, जैसा भी मामला हो, के जरिए चयनित नए आबंटियों को निर्बाध हो सके। अब कोयला ब्लॉकों का आबंटन ऑर्डिनेन्स के प्रावधानों और उसके तहत बने नियमों के अनुसरण में समयबद्ध तरीके और पारदर्शी तरीके से होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोयला आपूर्ति बाधित न हो।

(घ) और (ड़) : कुछेक हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें लोहा और इस्पात क्षेत्र हेतु नई आबंटन प्रक्रिया के तहत कोयला आपूर्ति बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस्पात मंत्रालय ने इस्पात क्षेत्र के लिए कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का मामला कोयला मंत्रालय के साथ उठाया है।

*****